<u>जनपद बाराबंकी</u>

दिनांक 09.10.2024

फर्जी लिंक भेजकर लोन के नाम पीड़ित के खाते से निकाले गये 48,000/-रुपयों को साइबर क्राइम, बाराबंकी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराया गया-

साइबर क्राइम ऑनलाइन पोर्टल (NCRP) के माध्यम से 02 शिकायती प्रार्थना पत्र पर हुआ जिसमें आवेदिका मानसी गुप्ता पुत्री हनोमान प्रसाद गुप्ता निवासी सिद्धौर थाना असंद्रा जनपद बाराबंकी तथा मोहम्मद एहसान पुत्र इश्तियाक मोहल्ला काजीपुर कस्बा व थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को साइबर अपराधियों द्वारा मोबाइल नंबर पर फर्जी लिंक भेजकर दोनों व्यक्तियों के खाते से क्रमशः 30,000/- व 18,000/- रुपये लोन के नाम पर धोखाधड़ी कर निकाल लिए गये थे।

संदर्भित प्रकरण में तत्काल साइबर क्राइम थाना द्वारा साइबर तकनीकि का प्रयोग कर संबंधित मर्चेंट से पत्राचार कर सम्पूर्ण धनराशि क्रमशः 30,000/- व 18,000/- रुपए (कुल 48,000/- रुपये) दोनों आवेदकों के खाते में वापस कराए गए।

<u>पुलिस टीम-</u>

1. निरीक्षक विजयवीर सिंह सिरोही प्रभारी साइबर क्राइम थाना ।
2. व0उ0नि0 चंद्र प्रकाश यादव साइबर क्राइम थाना ।
3. आरक्षी राजन यादव, आरक्षी अभिषेक चपराणा साइबर क्राइम टेक्निकल टीम ।
4. आरक्षी गौरव त्रिपाठी, आरक्षी पंकज यादव साइबर क्राइम टेक्निकल टीम ।